राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्याः–09 / 2019
पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

वादीः–चम्पसिंह उर्फ चम्पालाल पुत्र रणछोड़राम उर्फ रणछोड़सिंह उर्फ हनुमानसिंह जाति पुरोहित निवासी नेवरा तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीः–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ओसियां।

उपस्थितिः–

1. श्री पेंपसिंह भाटी वादीग की और से।
2. प्रतिवादी सरकारी पैराकार उपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

वादी ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम नेवरा में खेत खसरा नम्बर 1212 / 1 रकबा 20.00 बीघा आई हुई जो वादी के नाम की खातेदारी दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटन से खातेदारी प्राप्त है। वादी व वादी के पिता के को नामों से पुकारा जाता था, घरेलु बोलचाल की भाषा में वादी का नाम चम्पालाल पुत्र रणछोड़राम उर्फ हनुमानसिंह कहा जाता है जबकि बाहरी व सरकारी दस्तावेज,वोटर आई डी आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड बैंक खाता डायरी एवं ग्राम नेवरा में स्थित अन्य भूमि में सही नाम चम्पसिंह पुत्र हनुमानसिंह दर्ज है। वादी ारा उक्त भूमि आवंटन वक्त वादी ने अपना नाम घरेलु बोलचाल का नाम चम्पालाल पुत्र रणछोड़राम [illegible] जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादी व वादी के पि[illegible] चम्पालाल पुत्र रणछोड़राम के स्थान पर सही नाम चम्पसिंह पुत्र [illegible] व राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हेतु यह वाद पेश है। सभी सही नामों के दस्तावेजों की प्रति[illegible] पत्र के साथ पेश है। अतः ग्राम नेवरा में खेत खसरा नम्बर 1212 / 1 रकबा [illegible] बीघा में वादी व वादी के पिता के गलत नाम चम्पालाल पुत्र रणछोड़राम के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner

र सही नाम चम्पसिंह पि. हनुमानसिंह की खातेदारी घोषणा किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वाद पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, ओसियां ने अपने जवाब मे बताया कि राजस्व ग्राम नेवरा की जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2033–2036 के खाता संख्या 652 खसरा नम्बर 1212/ रकबा 20.00 बीघा में गैर खातेदार चम्पसिंह पि. रन्छोड़सिंह पुरोहित दर्ज था, इसी चौसाले मे नामान्तरकरण संख्या 663 दिनांक 16.04.1978 को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करते हुए चम्पालाल पि. रणछोड़राम पुरोहित दर्ज किया गया उसके बाद इसी अनुसार जमाबंदी मे नाम चला आरहा है जो चालु जमाबंदी में चम्पालाल पि. रणछोड़राम पुरोहित दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर आई. डी., राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता डायरी में सही नाम चम्पसिंह पुत्र हनुमानसिंह दर्ज है। राजस्व रेकर्ड चालु जमाबंदी एवं अन्य स्वयं के दस्तावेज आधारकार्ड, वोटर आई.डी., राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता डायरी में दर्ज नाम में अन्तर हैं अतःप्रार्थी के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में स्वयं के द्वारा प्रस्तत जवाब को दोहराते हुए कहा कि वादी के नाम की शुद्धि किया जाना उचित है।

अतः वादी का वादपत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के जबाब से वादपत्र को बल मिलता है, वादीगण का वादपत्र का खंडन नहीं किया गया है, मैंने पक्षकारान की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर मनन किया, वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूँ। अतः ग्राम नेवरा में खेत खसरा नम्बर 1212/1 रकबा 20.00 बीघा में वादी व वादी के पिता के गलत नाम चम्पालाल पुत्र रणछोड़राम के स्थान पर सही नाम चम्पसिंह पि. हनुमानसिंह की खातेदारी घोषणा किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, ओसियां को आदेशित किया जाता है कि वादी चम्पसिंह पुत्र हनुमानसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड शुद्धिकरण किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner